

प्रेषक,

एम0पी0 अग्रवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 06 जून, 2025

विषय:-प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग की समस्त उच्च शिक्षण संस्थाओं हेतु शैक्षणिक कैलेंडर 2025-26 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-972/सत्तर-1-2023-16 (11)/2014 टी0सी0-।। दिनांक 08.7.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के हेतु शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिये परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र0 सं0	शैक्षणिक सत्र 2025-26 का प्रवेश/परीक्षा/शिक्षण कार्यक्रम	दिनांक
प्रथम सेमेस्टर (Odd Semester)		
1.	सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि	24.07.2025
2.	प्रथम सेमेस्टर के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम (One week Student Induction Programme-SIP as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	26.07.2025 से 30.07.2025 (before and after classes)
3.	सेमेस्टर में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ	26.07.2025
4.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15	01.11.2025

	सप्ताह/90 दिवस)	
5.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ पूर्ण होने की तिथि*	10.11.2025
6.	सेमेस्टर की परीक्षाएँ (30 दिन) Exam Window-1	11.11.2025 से 10.12.2025
7.	शीतावकाश (15 दिन)	21.12.2025 से 05.01.2026
8.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	05.01.2026
तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर (Odd Semester)		
9.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	21.07.2025
10.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	30.10.2025
11.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ पूर्ण होने की तिथि*	10.11.2025
12.	सेमेस्टर की परीक्षाएँ (30 दिन) Exam Window-1	11.11.2025 से 10.12.2025
13.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	05.01.2026
द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम् एवं अष्टम् सेमेस्टर (Even Semester)		
14.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य प्रारम्भ होने की तिथि	05.01.2026
15.	सेमेस्टर का शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (15 सप्ताह/90 दिवस)	04.04.2026
16.	सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ पूर्ण होने की तिथि*	10.04.26
17.	सेमेस्टर की परीक्षाएँ (30 दिन) Exam Window-2	11.04.2026 से 10.05.2026
18.	सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	15.06.2026
19.	ग्रीष्मावकाश (30 दिन)	01.06.2026 से 30.06.2026
वार्षिक प्रणाली (Annual System)		
20.	नये विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की अन्तिम तिथि	24.07.2025
21.	प्रथम सेमेस्टर/वर्ष के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम (One week Student Induction Programme-SIP as per UGC guidelines before/after classes, Session will decide as per time table of HEI)	26.07.2025 से 30.07.2025
22.	नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये शिक्षण कार्य प्रारम्भ	24.07.2025
23.	शिक्षण कार्य पूर्ण होने की तिथि (30सप्ताह/180 दिवस)	31.03.2026

24.	प्रयोगात्मक परीक्षाएँ पूर्ण होने की तिथि	10.4.2026
25.	वार्षिक परीक्षाएँ Exam Window-2	11.04.2026 से 10.05.2026
26.	वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने की अन्तिम तिथि	15.6.2026
27.	ग्रीष्मावकाश (30 दिन)	01.6.2026 से 30.6.2026

नोट—

1. *प्रयोगात्मक परीक्षाएँ शिक्षण के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ कर दी जायें।
2. सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय उक्त शैक्षणिक कलेंडर के दृष्टिगत अपना वार्षिक गतिविधि कलेंडर (Annual activity Calander) तैयार कर अपनी वेबसाईट पर अपलोड करेंगे, जिसके अनुसार वर्षपर्यन्त होने वाली सभी को-करीकुलर एवं गैर शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित किया जायेगा।
3. शासनादेश संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी. दिनांक 13.07.2021 के बिन्दु संख्या-4 में सभी पाठ्यक्रमों (विधि/चिकित्सा तथा नियमक संस्थाओं के पाठ्यक्रम को छोड़कर) में सत्र 2022-23 तक एन0ई0पी0-2020 लागू करने के निर्देश दिये गये थे। कुलसचिव सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय कैम्पस तथा सम्बंधित महाविद्यालयों में संचालित सभी पाठ्यक्रम (विधि/चिकित्सा तथा नियमक संस्थाओं के पाठ्यक्रम को छोड़कर) में एन0ई0पी0-2020 के अनुसार संचालित हो रहे हैं। यदि कोई पाठ्यक्रम (विधि/चिकित्सा तथा नियमक संस्थाओं के पाठ्यक्रम को छोड़कर) एन0ई0पी0-2020 के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा है तो जुलाई 2026 सत्र से उसका संचालन एन0ई0पी0-2020 के अनुसार सुनिश्चित करेंगे।
4. विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन कार्य परीक्षा आरम्भ होने के प्रथम सप्ताह में आरम्भ कर दिया जायेगा तथा परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह में पूर्ण कर दिया जायेगा।
5. विभिन्न प्रकार की गैर-शैक्षणिक गतिविधियाँ शिक्षण कार्य को प्रभावित किये बिना पूर्ण की जायें।
6. किसी भी परिस्थिति में शिक्षण दिवस कम होने पर शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षाएँ/ऑन लाइन कक्षाएँ संचालित कर पूर्ण की जायें।
7. द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम् सेमेस्टर की कक्षाएँ परीक्षाएँ समाप्त होने के बाद समय पर आरम्भ कर दी जायें। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों का प्रवेश पूर्व सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन में कक्षाओं के समय के पश्चात् पूर्ण किया जायें।
8. विश्वविद्यालय परीक्षाएँ वर्ष में 02 बार 11.11.2025 से 10.12.2025 (Odd Semester) एवं 11.04.2026 से 10.05.2026 (Even Semester and Annual Exam) आयोजित की जायेगी। विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के लिये महाविद्यालयों को केन्द्र बनाया जाता है, जिससे उस महाविद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की परीक्षा निर्धारित समय में ही आयोजित की जायेंगी। परीक्षा के लिए निर्धारित समय (Exam Window-1 and 2)के अतिरिक्त किसी भी समय में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय में होने वाली अन्य सभी प्रकार की परीक्षाओं के परीक्षा कार्यक्रम इस तरह बनायेंगे कि वे परीक्षा के लिए निर्धारित समय में पूर्ण हों विशेष परिस्थिति में अनुमति के लिए शासन को पत्र प्रेषित

किया जायेगा। निर्धारित समय (Exam Window-1 and 2)के पूर्व/पश्चात् विश्वविद्यालयी परीक्षाये संचालित होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्ट की जायेगी।

9. सभी माईनर पेपर की परीक्षाये 1-2 दिन में आयोजित की जाये। विश्वविद्यालय माईनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। विधार्थी संस्तुत कोर्स का अध्ययन स्वयम् (SWAYAM) पर निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय उसकी परीक्षा माईनर पेपर के साथ करायेगे। सभी विश्वविद्यालय स्वयम् (SWAYAM)आनलाईन कोर्स की मैपिंग करगें तथा उसकी सूची वेबसाईट वेबसाईट पर अपलोड करेगे। स्वयम् (SWAYAM) आनलाईन कोर्स का क्रेडिट हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाये।
10. अधिकांश विधार्थीयों के इण्टरीमीडिएट परीक्षा परिणाम 15 मई तक तथा स्नातकोत्तर के परीक्षा परिणाम 15 जून तक घोषित कर दिये जाते हैं। अतः सभी प्रकार के प्रवेश 26 जुलाई तक पूर्ण किये जाये। यदि CUET आदि जैसी परीक्षाओं के परिणाम के कारण विधार्थी प्रवेश नहीं ले पाता है तो ऐसे विधार्थीयों के लिये साक्ष्य के आधार पर, सीटें रिक्त होने पर प्रवेश की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा दी जा सकती है तथा उनका छूटा हुआ शिक्षण कार्य अतिरिक्त कक्षाये लेकर पूर्ण कराना होगा जिससे शैक्षणिक कलैण्डर प्रभावित न हो। परन्तु प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी।
11. प्रवेश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व संबंधित कुलसचिव का होगा। किसी भी प्रकार की देरी के लिए कुलसचिव की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए प्रतिकूल प्रविष्ट की जायेगी।
12. एन0ई0पी0-2020 के अनुसार विद्यार्थीयों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेगे। विश्वविद्यालय सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए किसी भी प्रकार का मिड टर्म परीक्षाये आयोजित/आंतरिक परीक्षाये नहीं करेगे। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के लिए शिक्षक मूल्यांकन के लिए परीक्षाओं के स्थान पर शासनादेश संख्या-2058/सत्तर-3-2021-08(33)/2020 टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में दिये गये सुझावों के आधार पर विद्यार्थीयों का सर्वांगीण मूल्यांकन करेगे। कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) के अंकों का प्रयोग किया जा सकता है। सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा नियंत्रक नीति निर्धारित करेगे।
13. परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चित करेगे कि प्रायोगिक परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षण संस्थान (विश्वविद्यालय कैम्पस एवं महाविद्यालय) अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर प्रायोगिक परीक्षाओं की लाइव स्ट्रीमिंग/अपलोड करेगे, जो संस्थान के चैनल पर उपलब्ध रहेगी तथा सभी संस्थानों के यूट्यूब चैनल विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर लिंक किये जायेगे। सभी संस्थान निःशुल्क अपना यूट्यूब चैनल बनायेगे, जिस पर अन्य विविध गतिविधियों को भी अपलोड कर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक प्राचार्य/प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिये कार्यशाला अयोजित करेगे।
14. वर्तमान समय में लिखित/वर्णनात्मक (Descriptive) परीक्षा एवं बहुउत्तरीय (MCQ) परीक्षा का अपना-अपना महत्व है। लिखित परीक्षा से विद्यार्थी अपने ज्ञान को अनेकों प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थीयों के ज्ञान का मूल्यांकन बहुउत्तरीय (MCQ) के आधार पर किया जा सकता है। विश्वविद्यालय परीक्षा/परीक्षा परिणाम समयान्तर्गत पूर्ण करने के लिए विशम (ODD) सेमेस्टर की परीक्षा लिखित/ वर्णनात्मक (Descriptive) प्रकार से एवं सम (Even) सेमेस्टर की परीक्षा

बहुउत्तरीय (MCQ) प्रकार से सम्पादित की जा सकती है।

15. शासनादेश संख्या-600/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 28.06.2019 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार यू0जी0सी0-2018 के बिन्दु संख्या 8.1 में वर्णित व्यवस्था अनुसार शिक्षक को अधिकतम 30 दिवस का कार्यवकाश (Duty leave-DL) दिया जा सकता है, जिसमें शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सभी प्रकार के कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा कुछ शिक्षकों को ही बार-बार कार्य आवंटित किया जाता है तथा अन्य योग्य शिक्षकों को कार्य आवंटित नहीं किया जाता है, विश्वविद्यालय कुलसचिव सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी शिक्षक को 30 दिन से अधिक का विश्वविद्यालय कार्य आवंटित न किया जाये जिससे सभी शिक्षक विश्वविद्यालय कार्य में प्रतिभाग कर सकें। किसी भी दशा में शिक्षक के शिक्षण दिवसों को कम नहीं किया जायेगा।
16. शैक्षणिक कार्य को समय पूर्ण कराये जाने हेतु शैक्षणिक अवधि के उपरान्त अतिरिक्त कक्षाएँ चलाकर तथा अवकाश के दिनों में भी अतिरिक्त कक्षाएँ चलाकर शैक्षणिक कार्य को निर्धारित कार्यक्रमानुसार पूर्ण कराते हुये ससमय परीक्षा कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
17. शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शिक्षक अपने आवंटित मूल्यांकन/परीक्षा/प्रवेश संबंधी कार्य को पूर्ण करने के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय कार्य करने पर उन्हें शासनादेश संख्या-600/सत्तर-1-2019-16(114)/2010 दिनांक 28.06.2019 एवं यू0जी0सी0 नियमन-2018 नियमानुसार कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

भवदीय

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-622 (1)/सत्तर-1-2025-16(11)/2014 टी0सी0-II तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. परीक्षा नियंत्रक, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को परिचालित करें तथा शासन को सूचित करें।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी/समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव